बाल अधिकार और हिमाचल की बाल कहानियां: एक मनोवैज्ञानिक विश्लेषण

कान्ता देवी

शोधार्थी (हिंदी)

डॉ. विनोद कुमार

(निर्देशक), लवली प्रोफैशनल यूनिवर्सिटी, फगवाड़ा (पंजाब)

शोध सार: हिमाचल की बाल कहानियों में बच्चों की भावनाओं, विचारों और अनुभवों को दर्शाया गया है। इन कहानियों में बाल अधिकारों की अवधारणा भी शामिल है। हर बच्चे के पास मानवाधिकार है चाहे उसकी उम्र, जाति, लिंग, धन या जन्म स्थान कुछ भी हो। हाल के दशकों में असीमित प्रगति के बावजूद भी अगर अपने आसपास नजर दौड़ाए तो अभी तक भी लाखों ऐसे बच्चे हैं जो अपने अधिकारों से वंचित है। बालक ईश्वर द्वारा प्रदत अनमोल कृति है, जो माता-पिता के प्राणों का आधार होते हैं। यह मनुष्य जीवन की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था है और यह वह अवस्था है जहां से हमारे भविष्य की नीव पड़ जाती है। बच्चे ऐसे प्राणी है जो अपने अधिकारों की लड़ाई स्वयं नहीं लड़ सकते। अतः प्रत्येक व्यस्क को अपने उत्तरदायित्व एवं कर्तव्य को ध्यान में रखते हुए बच्चों की मनोवैज्ञानिक आवश्कताओं की पूर्ति हेतु सुरक्षित, सलामत और प्यार भरा माहौल सुनिश्चित करना चाहिए ताकि उनके बेहतरीन भविष्य का निर्माण हो सके। अपनी व्यस्तता के कारण जाने अनजाने में हम बच्चों के मनोभावों को न समझकर उनके अधिकारों की अवहेलना कर देते हैं। हिमाचल की बाल कहानियों में भी ऐसी कहानियाँ मिलती है जहाँ एक और बाल कहानीकारों ने अपनी लेखनी से बाल साहित्य को समृद्ध किया है वहीँ दूसरी और बाल कहानियों के माध्यम से बच्चों के अधिकारों की उपेक्षा होने पर उनकी शारीरिक और मानसिक समस्याओं पर विचार विमर्श किया है।

बीज शब्द: बाल मानवाधिकार, मनोवैज्ञानिक समस्याएँ, मानसिक दवाब, बच्चों की सूझ-बूझ, शारीरिक हिंसा, अशिक्षा, घरेलू समस्याएं, बेटी पढाओ, बाल श्रम, दलित भेदभाव।

मूल आलेख: बच्चों को एक ऐसे अनुकूल व समर्थ वातावरण की आवश्यकता होती है जहां वह स्वतंत्रता के साथ गरिमा पूर्ण जीवन जीने योग्य बन सके। उन्हें वे सभी अधिकार प्राप्त हो जिसके द्वारा वह पूर्ण विकास प्राप्त कर एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में पल्लवित हो सके। 'बाल अधिकार तथा सरंक्षण कानूनों से एक परिचय' में बताया गया है कि, "इन अधिकारों में बच्चों की स्वतंत्रता, पारिवारिक वातावरण, आवश्यक स्वास्थ्य, देखरेख तथा कल्याणकारी सेवाएं, शिक्षा, सांस्कृतिक गतिविधियाँ व विशेष सरंक्षणात्मक कदम शामिल है।"1 जब बच्चों के अधिकारों की रक्षा की जाती है तो बच्चों को ऐसे समाज में विकसित होने का मौका मिलता है जो उन्हें फलने-फूलने का अवसर देता है। लेकिन आज भी बच्चों की बहुत बड़ी आबादी है जहाँ वे शिक्षा, कुपोषण, बाल अपराध, बाल श्रम, यौन शोषण, भेदभाव आदि विकराल समस्याओं से जूझ रहा है। क़ानूनी रूप से तो उन्हें मूलभूत अधिकार प्राप्त है पर वास्तविक रूप से वे उनकी पहुँच से परे है। हिमाचल के बाल कहानीकारों ने अपनी रचनाओं के विभिन्न पात्रों के माध्यम से दर्शाया है कि आज अभूतपूर्व प्रगति के बावजूद भी हम अभिभावक उनके मनोभावों और अधिकारों की पहचान नहीं कर पा रहे हैं।

अभिवृद्धि और विकास की प्रक्रिया के दौरान बच्चों की कुछ मनोवैज्ञानिक, सामाजिक, शैक्षिक और स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकता होती है। अगर वह पूर्ण ना हो तो वह अपने परिवार में, समाज में उपेक्षित और असुरक्षित महसूस करता है। उसके अंदर तनाव, डर, असफलता की ग्लानी, हीन भावना, आक्रामकता, समायोजन और स्वास्थ्य जैसी समस्याएं पैदा हो जाती है। तकनीकी के इस दौर में हमने अपने बच्चों को सुख-सुविधा सम्पन्न तो बना दिया लेकिन वह फिर भी अपने आपको अकेला महसूस करता है क्योंकि हम उसकी भावनाओं को नही समझ पा रहे हैं। जिसका ज्वलंत एवं सवेंदनशील उदाहरण 'आई लव यू पापा' कहानी में मिलता है। एक छोटा बालक शानू जो अपने पापा के प्रति प्रेम को नई रंग-रोगन हुई दीवारों पर लिखकर प्रकट कर रहा है लेकिन दिवार ख़राब होने पर उसके पापा का पारा सातवें आसमान पर चढ़ गया। वे पत्थर उठाकर उस मासूम की अंगुलियों पर मारने लगे। "लिख क्या लिख रहा है तू ---- और लिख--- दीवार गंदी कर----।"2 जब बच्चे की अंगुलियां फ्रैक्चर हो जाती है तब दीपक दीवार पर देखता है तो वहां लिखा था- 'आई लव यू पापा।' यह कहानी सिर्फ एक शानू की नहीं है बल्कि एक ऐसे बच्चे की है जो वर्तमान समय में हर परिवार में मिलेगी, जहाँ बच्चा माँ-बाप से अपनी भावनाओ और विचारों को प्रकट करने के लिए समय मांगता है, लेकिन अपनी व्यस्तता और स्वार्थ के कारण हम उनकी मानसिक और भावनात्मक सहायता नही कर पाते। इस स्थिति में उनका मानसिक विकास रुक जाता है। प्रतिस्पर्धा की दौड़ में माता-पिता और समाज बच्चों से उम्मीद करते हैं कि वे हमेशा ही सर्वोतम परिणाम देंगें, जो उनके लिए

मानसिक दबाव का कारण बन जाता है। हरदेव सिंह धीमान की कहानी 'जादू- टोना' में राकेश की स्थिति भी कुछ ऐसी ही है। राकेश के आठवीं की परीक्षा में असफल होने के बाद उसके माता-पिता उसकी समस्या को न समझकर उसे घिनौनी दृष्टि से देखते हैं और वह सोचने लगा कि अब आत्महत्या के सिवाय उसके पास कोई रास्ता नहीं है। फिर उसके मन में जादू टोने का विचार आता है। जब वह मंदिर में बाबा से मिलता है तो बाबा उसके मन की स्थिति को समझकर उससे कुछ प्राणायाम और साथ में थोडा-थोडा उसे पाठ याद करने के लिए देते है और राकेश सफल हो जाता है। बाबा जी उसे समझाते है कि- "देखो बेटा यदि नियमित और लगन से कोई कार्य करो तो अवश्य ही सफलता मिलती है।"3 यदि बच्चे के मन को समझा जाए तो वह गलत रास्ते पर जाने की अपेक्षा सही रास्ता चुन लेता है।

कुछ कहानियों में बच्चे छोटे होने के बावजूद भी अपनी सूझ-बूझ से बड़ों को ऐसा सन्देश देते हैं कि उनको उसका ज्ञान भी नहीं होता। 'दुख तो दुःख ही है' कहानी में शंकर जब पत्थर से बकरियों को भगाता है तो उससे गुरुदेव की बकरी की टांग टूट जाती है। शंकर ने कहा- "चाचू, गलती तो मुझ से हो गयी है। अब मुझे जो भी सजा देना चाहो दे लो। आपका बच्चा हूँ। सच कहता हूँ कि आपकी बकरी पर जान बूझकर पत्थर नहीं मारा। अपनी आँखों से देखो तो सही। एक भी पौधा जिन्दा नहीं बचा है। कुतर कुतर कर खा गयी बकरियां इन्हें। इन पेड़-पौधों में भी तो जान होती है चाचू। इन्हें बचाने के लिए ही मुझसे यह गलती हो गयी।"4 तब चाचू को आभास होता है कि पेड़-पौधों के साथ भावनात्मक लगाव और पर्यावरण सरंक्षण की बात से उस बालक ने उसकी ऑखें खोल दी। इसी प्रकार कहानी 'मक्की चोर' में बेटा बाप को सीख देता हुआ नजर आता है। जब सोजू मक्की चुराते हुए बेटे से पूछता है, "कोई देख तो नहीं रहा है।" "हाँ बापू भगवान देख रहा है।" भोलू ने धीरे से कहा।5 सोजू बेटे की बात को सुनकर सन्न हो गया और उसके भीतर से आवाज आई कि- नहीं, नहीं मक्की नहीं चुरानी है। इन कहानियों से ज्ञात होता है कि कई बार बच्चे निर्भीकता से अपनी बात कह कर बड़ों को भी सही रास्ते पर चलने के लिए विवश कर देते हैं.

जहां बच्चों के लिए सुरक्षित वातावरण के अधिकार की बात की जाती है वहीं उन्हें अपने ही परिवार में या समाज के हाथों शारीरिक हिंसा का शिकार होना पड़ता है। हिमाचल की कहानियों में दर्शाया गया है कि आजकल मां-बाप अधिकतर मोबाइल पर व्यस्त रहते हैं और बच्चे उनका प्यार दुलार पाने को तरसते हैं तथा कई बार तो उन्हें बिना गलती की भी सजा मिलती है। 'सबसे बड़ा इनाम' कहानी में चेतन यही सोचता रहता है कि कैसे वह पापा को अपने स्कूल की बातें या परेशानी बताएं क्योंकि वे जयादा समय मोबाइल पर व्यस्त रहते हैं। चेतन चिल्लाया, "पापा कभी तो इस मोबाइल को बंद रखा कीजिए।" चेतन के इस तरह से चिल्लाने के लिए विशाल ने दो तमाचे चेतन के गाल में जड़ दिए। चेतन रोते हुए बोला," पापा, मम्मी

के ऊपर सारी गर्म चाय गिर गई है। मम्मी तकलीफ में है। मैं बस आपको यही बताने की कोशिश कर रहा था।"6 ऐसी भी कहानियाँ मिलती है जहाँ माता के दुर्व्यवहार के कारण भी बच्चों को शारीरिक हिंसा झेलनी पड़ती है। जैसे 'सौतेली माता और तोता' कहानी में ब्राह्मण जब दूसरी शादी करता है तो वह नई औरत, फूल सी सुंदर लड़की को तंग करने लगी और घर का सारा काम उससे करवाती है, लड़के को सदा मारती पीटती रहती है।7 बच्चों के साथ इस तरह की शारीरिक हिंसा होने से उनके अधिकारों के हनन होने के कारण उनके मनोविकास पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

भारत की कुल जनसंख्या का 39% भाग बच्चों का है, जहां पर बच्चों के लिए नि:शुल्क और अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा के अधिकार की बात की जाती है। लेकिन अभी भी बच्चों का बहुत बड़ा प्रतिशत शिक्षा से वंचित है। उनका दाखिला स्कूल में तो हो जाता है परंतु गरीबी, अभिभावकों में जागरूकता की कमी, लिंगभेद, उपयुक्त शैक्षिक संसाधनों का अभाव आदि अनेक कारणों से उनकी शिक्षा अधूरी रह जाती है। हिमाचल की बाल कहानियों में बालक की अशिक्षा जैसी समस्याओं को उजागर किया गया है, जहा बच्चा हीन भावना से ग्रस्त होता है। 'ग्यारह बजे' नामक कहानी में जब लेखक बालक को रेहड़ी पर रखे स्कूल बैग के साथ सब्जी बेचते हुए देखता है, तो वह पूछता है- "अरे ग्यारह बजे तुम स्कूल कब जाता है?" वह हंसा, "अरे दादा कौन स्कूल जाता है सब लफड़ा है, अपन को तो पेट भरना है। मेरा बाप है न वह सामने----भी रेहड़ी लगाता है।" तब बालक हीन भावना को दर्शाता हुआ कहता है- स्कूल का बैग तो सब नाटक, अपन इसलिए रखता है कि कोई यह नहीं समझे कि हम अनपढ़ है दादा-----आपन स्कूल का वर्दी भी डालता ----- एक बार स्कूल छूटा------ तो सब खलास।"8 मुफ्त स्कूली शिक्षा के बावजूद भी कई बच्चे ऐसे हैं जो अपनी घरेलू समस्याओं के कारण चाहते हुए भी शिक्षा को प्राप्त नहीं कर सकते। सरकार द्वारा मुफ्त स्कूली शिक्षा और दोपहर का भोजन उपलब्ध हो जाने के बावजूद भी बच्चों को कुछ आवश्यक वस्तुओं के अभाव में स्कूल में दंडित होना पड़ता है और स्कूल जाने से उन्हें डर लगता है। जैसे 'चाइल्ड हेल्पलाइन' नामक कहानी में रोहित के पास वर्दी के जूते नहीं है- "कहां से लाऊ वर्दी के जूते? वहां दूसरी तरफ बापू बेवड़ा जो कमाता है सब शराब में उड़ा देता है, एक ही जोड़ी जूता है मेरे पास, वो भी माँ जहां बर्तन धोने जाती है वहां मालकिन ने अपने बेटे के पुराने जूते दिए हैं। सरकार को भी क्या बोलूं यार जब किताबें, वर्दी दे रही है, तो हम जैसों को पैरों में पहनने के लिए जूते भी दे दें। रोज-रोज प्रार्थना वही सभा में बेइजती नहीं सही जा रही है।"9

कुछ ऐसी भो कहानियाँ है जहाँ घरेलू समस्याओं के कारण भी बच्चे शिक्षा को प्राप्त नहीं कर पाते. 'कोमल' कहानी में जब कोमल के स्कूल न जाने पर उसके अध्यापक घर पहुंचते हैं तो उसकी स्थिति को जानकर हैरान रह जाते हैं। जब कोमल उन्हें बताती है कि- 'सर, मां बीमार

होने की वजह से कई दिनों तक काम पर नहीं जा पाई।" हल्की सी चुप्पी के बाद उदासी भरे शब्दों में वह फिर बोली, "पिछले कई दिनों से मां के बदले मैं ही जा रही हूं। शायद इस बार वे पगार दे दे।" "क्या तुम लोगों के घरों में काम करती हो।" अध्यापक हैरान था।10 'छोटी सी आशा' कहानी में माता-पिता अपने बच्चों के प्रति विचारों को प्रकट करते हुए कहते है- उन्हें कौन सा बच्चों को पढ़ा लिखा कर सरकारी नौकर बनाना है। थोड़े बड़े हो जाए बस दिहाड़ी लगाने लायक तो चार पैसे कमाएंगे। पढ़ाई से गरीब को क्या मिलता है।11 उन गरीबों के लिए शिक्षा से जरुरी पेट की आग है, जो कुछ खाकर ही शांत हो सकती है।

हिमाचल की बाल कहनियों में ऐसी भी कहानियाँ मिलेगी जहाँ लड़कियों की शिक्षा के अधिकार को ध्यान में रखते हुए उनके पिता द्वारा उन्हें शिक्षित करने का हर संभव प्रयास किया जाता है। 'पिता का भविष्य बेटियां' में जब गरीब गोरखाराम की दोनों बेटियां एक प्रोफेसर और एक डॉक्टर बन जाती है तो कहता है, "मेरी बेटियां मेरा अभिमान है। मेरा जीवन है। इन्हें पढाओ और खुशियाँ दो ये स्वयं अपना भाग्य लेकर आती है।"12

कम उम्र के बच्चों को नौकर रखना और मजदूरी करवाना असंवैधानिक और गैर कानूनी है। अम्बादत्त पंत इसे स्पष्ट करते हुए बताते हैं, "संविधान में यह भी कह गया है कि 14 वर्ष से कम आयु वाला बालक कारखाने, खान अथवा किसी अन्य संकटमय नौकरी में नही लगाया जाएगा। इस उपबंध का उद्देश्य यह है कि भारत के भावी नागरिकों का स्वास्थ्य न बिगड़ जाए।"13 लेकिन दुर्भाग्यवश मजबूरी में मजदूरी करने से बच्चे का बचपन कहीं खो जाता है। बाल श्रमिक गंभीर सामाजिक समस्या है जिसके कारण बच्चे का शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक विकास रुक जाता है और वे हमेशा के लिए कुंठित हो जाते हैं। अति गरीबी और बहुत सी कमियों के कारण बच्चे सड़क पर काम करने के लिए विवश हो जाते हैं। उनकी ऐसी विवशता की झलक हिमाचल की कई बाल कहानियों में नजर आती है। गंगा राम राजी की कहानी 'सरगम' में एक छोटा सा बालक है जो घर की आर्थिक स्थिति ठीक ना होने के कारण सड़कों पर गुब्बारे बेचने के लिए मजबूर है। जब मैंने चमनु से उसकी मजबूरी पूछी तो वह बताता है- "साब मेरे बापू को अधरंग पड़ गया। मां की मजदूरी से हमारा पेट नहीं भरता था। दूसरा मां बापू की सेवा भी तो करती है। बापू तो अब चल फिर भी नहीं सकते। मैंने देखा कि बोलते बोलते उसकी आंखें भर आई थी।"14 यह कहानी सिर्फ चमनु नामक बालक की नही है, बल्कि उस पूरे बाल मजदुर वर्ग की है जहाँ सरकार ने बाल मजदूरी प्रतिबंधित तो अवश्य की है लेकिन चमनु जैसे बालकों के पास अपने परिवार को पालने के लिए मजदूरी के सिवाए कोई अन्य रास्ता नहीं बचता। ग्यारह वर्ष उसकी कमाने की उम्र तो नहीं है परंतु वह क्या करें। ऐसे ना जाने कितने ही लाखों बच्चे होंगे जहां हम उनके अधिकारों की बात तो करते हैं लेकिन वह कागज तक ही सीमित हो जाते हैं।

संविधान प्रदत बाल अधिकार जहाँ असमानता को रोककर, ऊच्च-नीच, जाति-धर्म, भेदभाव की जंजीरों को तोड़कर, समानता की बात करता है। वहीं बालक आज के आधुनिक समय में भी शोषण और भेदभाव का शिकार हो रहा है। मीना चंदेल की कहानी 'अछूत' में इस समस्या को बड़ी गंभीरता से प्रस्तुत किया है। ठकुराईन ने आव देखा ना ताव, जहां डंडा पड़ा। वहां जड़ा। सोनू का रो-रो कर बुरा हाल हो गया, पर मां का दिल ना पसीजा क्योंकि ठकुराईन यह बर्दास्त न कर पाई कि ठाकुरों का चिराग अछूत सपेरों के बेटे के साथ उसकी बस्ती में जाकर खेले या मंगलू ही स्वर्णों की बस्ती में आए। सोनू को मार खाता देख मंगलू ने ठकुराईन के आगे हाथ जोड़कर कहा कि- "कभी भी सोनू को अपनी बस्ती में नहीं आने दूंगा और ना ही कभी उनकी बस्ती में पैर रखूंगा। अब उन्हें क्या पता जात-बिरादरी क्या होती है?"15 बच्चों के पवित्र मन में तो बस प्यार होता है वे समाज की ऊच्च-नीच और भेदभाव की बातों से अनजान होते है। लेकिन इस तरह के व्यवहार के कारण बच्चे के अन्दर मनोविकार पैदा हो जाते हैं।

निष्कर्ष: हिमाचली की बाल कहानियों में बच्चों के जीवन से जुड़े विविध पक्षों जैसे भावनात्मक संघर्ष, पारिवारिक दबाव, शिक्षा की चुनौतियाँ, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सामाजिक भेदभाव और आत्मबल को संवेदनशीलता के साथ प्रस्तुत किया गया है। हिमाचल की बाल कहानियाँ बाल मनोविज्ञान और बाल अधिकारों के आदर्शों पर आधारित है, जिसमें प्रत्येक बच्चे के लिए उचित शिक्षा, सुरक्षा, अभिव्यक्ति और विकास के लिए अनुकूल वातावरण की बात कही गयी है। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से ये बाल कहानियाँ सिर्फ मनोरंजन का साधन नहीं है बल्कि ये बच्चों के अंदर कल्पना, जिज्ञासा, आत्मविश्वास, पर्यावरण सरंक्षण और नैतिक बोध को भी प्रोत्साहित करने वाली है। कुछ कहानियाँ बच्चों की सुरक्षा, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और शिक्षा के अधिकार जैसे मूल अधिकारों का समर्थन करती है। परन्तु इनमें से कुछ कहनियाँ ऐसी भी है जिनमें अनेक स्थानों पर बच्चों की इच्छाओं, भावनाओं और अधिकारों की उपेक्षा की जाती है। जब बच्चे को बार-बार तिरस्कार, डर, अवज्ञा का पात्र बनाया जाता है, तो इससे बच्चे की स्वतंत्रता, आत्म-अभिव्यक्ति, आत्म-सम्मान, सृजनात्मकता और सुरक्षा बोध पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। हिमाचल के बाल कहानीकारों ने बाल पात्रों के माध्यम से बच्चों की समस्याओं को समाज के सामने लाने का साहसिक प्रयास भी किया है। यदि इस साहित्य को बच्चों के मनोवैज्ञानिक विकास और अधिकारों की चेतना से और अधिक जोड़ा जाए, तो यह न केवल साहित्यिक दृष्टि से बल्कि सामाजिक परिवर्तन के दृष्टिकोण से भी अत्यंत प्रभावशाली सिद्ध हो सकता है।

सन्दर्भ:

1. *बाल अधिकार तथा सरंक्षण कानूनों से एक परिचय.* पृ० 7

https://prachicp.com/tarunya/sharelink/Child_Protection_Smart_kit/CHILDPROTECTIONMATERIALS/HINDI/1.%20Final%20Modules/Module%201_Introduction.pdf

2.गंगा राम राजी. *आई लव यू पापा.* मुंबई, प्रलेक प्रकाशन प्रा० लि०, 2020. पृ० 27

3.हरदेव सिंह, धीमान. *जादू टोना.* रूडकी, स्ट्रिंग प्रोडक्शन, 2022. पृ० 26,28

4.प्रत्युष गुलेरी. *दुःख तो दुःख ही है.* आगरा, निखिल पब्लिशर एंड डिस्ट्रीब्यूटर, 2021. पृ० 13,14

5.कृष्ण चंद्र महादेविया. *मक्की चोर.* सुंदरनगर, सुकेत साहित्यक एवं सांस्कृतिक परिषद्, 2017. पृ० 24

6.पवन चौहान. *सबसे बड़ा इनाम.* नई दिल्ली, न्यू वर्ड पब्लिकेशन, 2022. पृ० 66,67

7.अमरदेव अंगिरस. *सोतेली माता और तोता.* सोलन, दयावंती प्रकाशन, 2006. पृ० 65

8.गंगा राम राजी. *ग्यारह बजे.* मुंबई, प्रलेक प्रकाशन प्रा० लि०, 2020. पृ० 93,94

9.मीना चंदेल. *चाइल्ड हेल्पलाइन.* नई दिल्ली, पेसिफिक बुक्स इंटरनेशनल, 2023. पृ० 35

10.पवन चौहान. *कोमल.* नई दिल्ली, न्यू वर्ड पब्लिकेशन, 2022. पृ० 60

11.मीना चंदेल. *छोटी सी आशा.* नई दिल्ली, पेसिफिक बुक्स इंटरनेशनल, 2023. पृ० 104

12.प्रतिभा शर्मा. *पिता का भविष्य बेटियां.* काँगड़ा, यश बुक्स पब्लिशर, 2023. पृ० 20,21

13.अम्बादत्त पंत. *भारतीय संविधान तथा नागरिकता.* सेन्ट्रल बुक डिपो इलाहबाद, 1949. पृ० 111

14.गंगा राम राजी. *सरगम.* मुंबई प्रलेक प्रकाशन प्रा० लि०, 2020. पृ० 96

15.मीना चंदेल. *अछूत.* नई दिल्ली, पेसिफिक बुक्स इंटरनेशनल, 2023 पृ० 14